न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–181/2026

CNR No.UPRP010014462026

(पंजीयन सं० 319/2026)

शाहनवाज पुत्र अकबर अली, निवासी ग्राम रनुआनगला, थाना टाण्डा, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

धारा–69 बी०एन०एस०
थाना–गंज, जिला रामपुर।
अ०सं० 30/2026

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी शाहनवाज की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता फिरासत अली ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 21–02–2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्त/प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में ब्लेकमेल करने के इरादे से अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झांसा देकर कभी कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये।अभियुक्त/प्रार्थी वादिनी मुकदमा के गांव में विद्युत संविदा कर्मियों के साथ कभी–कभी बिल निकालने जाता था, उसी दौरान वादिनी ने अभियुक्त/प्रार्थी को देखा था और वादिनी मुकदमा अभियुक्त/प्रार्थी से कहने लगी कि उसके मायके वाले उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र के शराबी व्यक्ति से करना चाहते है और मना करने पर मारते–पीटते है, अगर परिवार वाले नहीं माने, तो वादिनी मुकदमा आत्महत्या कर लेगी।इस पर अभियुक्त/प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा को कई बार समझाया था कि ऐसा आत्मघाती कोई कदम मत उठाना। वादिनी मुकदमा के मायके वाले उसे मारते–पीटते थे और उसे कई–कई दिन भूखा रखते थे। अभियुक्त/प्रार्थी ने रहम खाकर उसके खाने–पीने और कपड़ों की कई बार मदद की। अभियुक्त/प्रार्थी भी शादीशुदा नहीं है। उक्त महिला शातिर है और धीरे–धीरे अभियुक्त/प्रार्थी के करीब आ गई और अभियुक्त/प्रार्थी से शादी करने की फरमाईश करने लगी। अभियुक्त/प्रार्थी ने पहले तो मना करता रहा, किन्तु उस पर रहम खाकर शादी का फैसला कर लिया था। वादिनी मुकदमा अभियुक्त/प्रार्थी पर जल्द निकाह करने की खुशामद करती थी, जिस पर अभियुक्त/प्रार्थी ने कहा कि वह अपने परिवार वालों को विश्वास में लेकर ही शादी

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.16 17:11:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करेगा। लेकिन वादिनी मुकदमा ने कहा कि पहले एग्रीमेन्ट लिखवा लो, निकाह बाद में कर लेगे। दिनांक 10–10–2025 को अभियुक्त/प्रार्थी व वादिनी मुकदमा के मध्य शादी का एग्रीमेन्ट हुआ और निकाह बाद में करना तय हुआ। वादिनी मुकदमा एग्रीमेन्ट होने के बाद जल्दी निकाह करने का दवाब बनाने लगी, जिस पर अभियुक्त/प्रार्थी को शक हुआ। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे है। अभियुक्त/प्रार्थी ने इस बात की शिकायत वादिनी मुकदमा से की, तो माफी मांगने लगी और कहा कि उसकी पहले पति से तलाक हो गयी है और अभियुक्त/प्रार्थी उसके साथ निकाह कर ले। अभियुक्त/प्रार्थी ने कहा कि अदालत का कोई आदेश दिखाओ, इस पर वादिनी मुकदमा गुस्से में आ गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। अभियुक्त/प्रार्थी वादिनी मुकदमा को समझाता रहा कि जब तक पूर्व पति से तलाक न्यायालय से नहीं होगी, तब तक वह निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि यह धर्म के हिसाब से भी गलत है। वादिनी मुकदमा नहीं मानी और अपनी इसी जिद, रंजिश व लालच के चलते अभियुक्त/प्रार्थी को ब्लेकमेल करने के इरादे से उपरोक्त झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्व कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। अभियुक्त/प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झांसा देकर कभी कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये। उनका तर्क है कि अभियुक्त /प्रार्थी विद्युत संविदा कर्मी है और अपने पदीय कर्तव्य पालन के अधीन मीटर रीडिंग के लिए जाता था। इसी दौरान वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त/प्रार्थी से कहा कि उसके मायके वाले उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र के शराबी व्यक्ति से करना चाहते है और मना करने पर मारते –पीटते है। इस कथन के साथ वादिनी मुकदमा द्वारा आत्महत्या करने का कथन किया जाता था। अभियुक्त/प्रार्थी ने उसे समझाया और खाना पीना, कपड़े आदि मदद की। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी शादीशुदा नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी की आर्थिक व सामाजिक हैसियत को देखते हुए वादिनी मुकदमा ने स्वंय अभियुक्त/प्रार्थी से निकटता बढ़ाई थी और स्वंय वादिया अभियुक्त/प्रार्थी से शादी करने की प्रबल इच्छा रखती थी। अभियुक्त /प्रार्थी द्वारा इन्कार करने पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी एवं वादिया मुकदमा के मध्य इसी परिचय के दौरान एक एग्रीमेन्ट स्टाम्प विलेख लिया गया था, इससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त /प्रार्थी द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ उसकी इच्छा के विरूद्व अथवा उसको विवाह का झांसा देकर अथवा किसी भ्रम पूर्ण कार्य के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नही किये है। उना तर्क है कि वादिया मुकदमा/पीड़िता का अभियुक्त/प्रार्थी से परिचय होने के पूर्व से ही विवादित होने के सन्दर्भ में परस्पर विरोधाभासी कथन है। उनका तर्क है कि अभियुक्त प्रार्थी के परिचय से पूर्व ही वादिनी मुकदमा शादीशुदा थी और अपने पूर्व पति को भ्रम में रखकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने और विवाह करने का आशय रखती थी। इसलिए कथित तीन वर्षों की अभियुक्त/प्रार्थी के परिचय की अवधि में वादिया

मुकदमा ने अपने पति से तलाक लिये जाने का कथन किया है। उनका तर्क है कि पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में अभियुक्त प्रार्थी द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने के तथ्यों पर विरोधाभासी कथन है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन० एस०एस० में कथित रूप से मुरादाबाद के होटल में ले जाने और दो–तीन बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का कथन किया है,परन्तु विवेचना में मुरादाबाद के किसी होटल/स्थान का साक्ष्य अब कि विवेचना में संकलित नहीं है। अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्व कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वादिया 31 वर्षीय वयस्क महिला है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में अभियुक्त/प्रार्थी के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप में रहने का कथन किया है।पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस०में विरोधाभास है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने के कथन किये है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी एवं वादिया मुकदमा के मध्य विवाह/निकाह करने के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट विलेख स्टाम्प पर निष्पादित हुआ है। दौरान विवेचना उपरोक्त स्टाम्प के निष्पादित होने के सन्दर्भ में पीड़िता ने कथन किये है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी एवं पीड़िता के मध्य विवाह/निकाह करने के सम्बन्ध में जो एग्रीमेन्ट विलेख स्टाम्प पर निष्पादित हुआ है, उसमें अभियुक्त/प्रार्थी एवं वादिया ने परस्पर विवाह/निकाह करने के तथ्य का उल्लेख है।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादिया/पीड़िता श्रीमती रूखसार की ओर से दिनांक 19–02–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि वादिनी मुकदमा की मुलाकात शाहनवाज से लगभग तीन वर्ष पूर्व हुई थी।तभी शाहनवाज ने वादिनी मुकदमा का मोबाइल नम्बर ले लिया था। उस समय वादिनी मुकदमा शादीशुदा थी। शाहनवाज ने टेलीफोन व मुलाकात कर बातचीत के दौरान वादिनी मुकदमा को बरगलाया कि अपने पति को तलाक दे दो,वह उसके साथ शादी करेगा। वादिनी मुकदमा ने शाहनवाज के झांसे में आकर अपने पति से तलाक ले लिया,तब से शाहनवाज वादिनी मुकदमा से बातचीत करता व शादी करने का झांसा देकर बराबर बलात्कार करता रहा।काफी समय बीत जाने के बाद जब वादिनी मुकदमा ने उक्त शाहनवाज पर शादी का दवाब बनाया,तो उसने दिनांक 10–10–2025 को एक स्टाम्प लिखवाया,जिसमें चार माह के बाद निकाह करने की बात लिखी गई। चार माह बीत जाने के बाद वादिनी मुकदमा ने शाहनवाज से निकाह करने के लिए कहा, तो उसने टाल दिया और निकाह करने से मना कर दिया। इस पर वादिनी मुकदमा ने थाना गंज पर एक तहरीर दी,शाहनवाज को पता चलने पर दिनांक 16–02–2026

को समय लगभग सात बजे उक्त शाहनवाज अपने चाचा मुनव्वर अली उर्फ भूरा, मुजफ्फर अली पुत्र सफदर अली,शादाब पुत्र राहत जान और अपने मामा के साथ वादिनी मुकदमा के घर घुस आये और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। वादिनी मुकदमा से कहने लगे कि थाना क्यों गई,तब वादिनी मुकदमा ने शाहनवाज से कहा कि उसने धोखे में रखकर वादिनी मुकदमा के साथ बलात्कार किया और उसके पहले पति से तलाक दिला दी।शाहनवाज ने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि उसके पास अश्लील वीडियो बना ली है,उसे बदनाम किया,तो वह वायरल कर देगा। वादिनी मुकदमा ने कहा कि उसने उसकी जिन्दगी बर्बाद कर दी है,अब वह उससे ही शादी करेगी। इस पर सभी मुल्जिमान वादिनी मुकदमा को मारने–पीटने के लिए चिपट गए। मुल्जिमानों ने वादिनी मुकदमा को लात–घूंसों से बुरी तरह से मारापीटा और उसके कपड़े फाड़ दिये तथा उसके साथ बदतमीजी की।शोरगुल पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

प्रथम सूचना रपट देरी से होना अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है। वादिया मुकदमा/पीड़िता का अभियुक्त/प्रार्थी से परिचय से पूर्व ही वादिया मुकदमा का विवाहित होने का तथ्य दौरान विवेचना पीड़िता के कथनों में स्पष्ट हुआ है ।दौरान विवेचना पीड़िता एवं अभियुक्त/प्रार्थी के साथ विवाह/निकाह के वचन निष्पादन के लिए स्टाम्प विलेख निष्पादित होना अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित है। वचन पत्र स्टाम्प में अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा पीड़िता के साथ निकाह करने लेने के तथ्य का उल्लेख है। अभियुक्त/प्रार्थी का वादिया/पीड़िता के साथ प्रथम बार परिचय होने के स्थान के तथ्य पर परस्पर विरोधाभासी कथन पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा–180 व धारा–183 बी०एन०एस०एस० में प्रकट किये है। अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा वादिया को अन्य जनपद में ले जाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने के तथ्य/स्थान पर कोई साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित नहीं हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से विवाह का वचन देने की रीति का कोई उल्लेख अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित नहीं है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में अभियुक्त/प्रार्थी के साथ कोर्ट मैरिज करने का भी कथन किया है। अभियुक्त/ प्रार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/प्रार्थी को रू.1,00,000/–का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 16–03–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545